**भारत सरकार**
**श्रम और रोजगार मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 3400**
**सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)**

**श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकी**

**3400. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में श्रमोन्मुखी प्रौद्योगिकियों का समावेश करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है**;** और
(ख) सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सेवा क्षेत्र का विस्तार करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि उनके सामाजिक जीवन स्तर में सुधार हो सके**?**

**उत्तर**
**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**
**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) और (ख): रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार अवसरों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित) का विस्तार करने के लिए विभिन्न कदम जैसे: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), स्टैंडअप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि उठाए गए हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार

सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवीणता दिला कर भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम॰ई॰आई.टी॰वाई॰) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी जनशक्ति के पुनः कौशल/कौशल उन्नयन के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसमें 1,07,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ बजट 2024-25 में घोषित की गई रोजगार संबंद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

ईएलआई योजना का एक भाग विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत नियोक्ताओं को रोजगार की औपचारिकता/सृजन के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित करता है। ईएलआई योजना का दूसरा भाग सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहित करना है।

******